न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—172/2018/223 (2018/00172)

1. अशोक कुमार गर्ग पुत्र रामेश्वरलाल गर्ग, जाति अग्रवाल, नि0 अशोक गली, कडक्का चौक, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पांच पुत्र गंभीरा, जाति जाट (जाखड़), नि0 ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. बैंक मैनेजर, अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि0, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

4. फिरोज पुत्र मौहम्मद उमरदीन (मृतक) जरिये वारिसानः—
4/1— श्रीमती अन्जूम स्व0 फिरोज,
4/2— फरहीन पुत्र स्व0 फिरोज,
4/3— शीना कुरैशी पुत्री स्व0 फिरोज,
4/4— जैद कुरैशी पुत्र स्व0 फिरोज,
समस्त जाति मुसलमान, निवासी हवा चक्की मौहल्ला, नसीराबाद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

5. अफरोज पुत्र स्व0 मौहम्मद उमरदीन,

6. इस्लामुदीन पुत्र स्व0 मौहम्मद उमरदीन (मृतक) वारिसानः—
6/1— श्रीमती तरन्नुम पत्नि स्व0 इस्लामुदीन,
6/2— श्रीमती निकट अफसान पुत्री स्व0 इस्लामुदीन,
6/3— श्रीमती निशात पुत्री स्व0 इस्लामुदीन,
6/4— जुबेर पुत्र स्व0 इस्लामुदीन,
6/5— हैदर पुत्र स्व0 इस्लामुदीन उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती तरन्नुम पत्नि स्व0 इस्लामुदीन
समस्त जाति मुसलमान, नि0 हवा चक्की मौहल्ला, नसीराबाद ।

7. इरफान पुत्र स्व0 मौहम्मद उमरदीन,
समस्त जाति मुसलमान नि0 हवा चक्की मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 19.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 19/2012.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ताराचंद कुर्डिया, वकील रेस्पो0 संख्या 6/1 से 6/5.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4/1 रे 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—5.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88,एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मांगलियावावस, तहसील पीसांगन वर्तमान खसरा नंबर 151 रकबा 0.57 हे0, खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0, 153 रकबा 0.16 है0 एवं 151/2691 रकबा 0.19 है0 भूमि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.2.1981 को रूपये 16,500/— में क्रय की थी जिसका नामांतकरण संख्या 410 से क्रेतागण/वादीगण के नाम इंद्राज किया गया । क्रय की दिनाक से वादीगण आज दिवस तक काबिज काश्त है । उक्त खसरा संख्या 151 रकबा 0.57 है0 से 0.28 है0 रकबा नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ अंकन किया गया जिसका वादीगण को मुआवजा प्राप्त हो गया है का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है शेष रकबा 0.29 है0 के वादीगण खातेदार है । भू—प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के उक्त इंद्राज में त्रुटि कारित करते हुए वर्तमान में हाल खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0 आराजी सिवायचक दर्ज कर दी एवं खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 है0 की आराजी पुनः विक्रेता के नाम इंद्राज कर दिया गया । इस गलत इंद्राज की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनकी क्रयशुदा आराजी से बेदखल करने एवं अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार करते हए हाल खसरा नंबर 152 व 153 में पुनः वादीगण के नाम अंकन करने के आदेश पारित करावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के अपीलाधीन निर्णय के अनुसार खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 ग्राम मांगलियावास की भूमि के संदर्भ में अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख हीं नहीं किया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित था इस कारण अपीलाधीन निर्णय आंशिक रूप से किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 410 मिन रकबा 4 बीघा के वर्किंग खसरा नंबर 636 व 637 एवं चौसाला खसरा नंबर 416 मिन रकबा 4 बीघा के वर्किंग खसरा नंबर 638 ग्राम मांगलियावास जिसे रेस्पो0 संख्या 1 पांचू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.2.1981 को अपीलांट एवं मौहम्मद उमर के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.10.1981 को स्वीकार किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में अपीलांट अशोक कुमार एवं मौहम्मद उमर को खातेदार दर्ज किया गया था जिनके वर्तमान खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 151 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 बने है जिन्हें वर्तमान जमाबंदी में भू—प्रबंध विभाग, अजमेर के द्वारा अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया

था। उक्त गलत इद्रांज के विरूद्ध वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 में वाद पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 को स्वीकार कर वर्तमान खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 है0 भूमि के ही खातेदार घोषित किया है जबकि वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 की भूमि के संदर्भ में सहवन से अधी0न्याया0 द्वारा अंकन नहीं किया जबकि अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 के अंतिम पैरा में वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0 की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 हे0 की आराजी को पुनः विक्रेता/रेस्पो0 संख्या 1 पांचू के नाम दर्ज कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, इस प्रकार अधी0न्याया0 के द्वारा संपूर्ण विवादित भूमि के संदर्भ में निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 के अंतिम पैरा में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित माना है किन्तु निर्णय के अंतिम पैरा में अपीलाधीन भूमि वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19है0 की भूमि के संदर्भ में कोई निर्णय ही पारित नहीं किया है जबकि वादीगण/अपीलांटस द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्तमान खसरा संख्या 151/2691 रकबा 0.19 है0 के संदर्भ में भी अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय में वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 के संदर्भ मं कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे निर्णय में उक्त खसरा नंबर बाबत् आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः अपील अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री को आंशिक संशोधित किया जाकर वर्तमान खसरा संख्या 151/2691 रकबा 0.19 है0 के संदर्भ में अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 से 7 को वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 का खातेदार घोषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 के संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अधिवक्ता से दिनांक 5.4.2018 को संपर्क कर वाद के बाबत् जानकारी चाही तो अवगत कराया कि वाद दिनांक 19.6.2015 को स्वीकार हो चुका है तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर नामांतकरण की कार्यवाही करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलाधीन निर्णय में वर्तमान खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 के संदर्भ में कोई नामांकरण ही स्वीकृत नहीं हुआ तब निर्णय का अवलोकन कर उक्त त्रुटि की जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6/1 से 6/5 ने अपीलांट की बहस का समर्थन कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणवगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन के वर्तमान खसरा नंबर 151 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर

153 रकबा 0.16 है0 एवं खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनाक 18.2.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 पांचू पुत्र गंभीरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 410 स्वीकृत कर जमाबंदी में खातेदार दर्ज है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में उपरोक्त तथ्यों को सही मानते हुए अपने आदेश में यह अंकित किया है कि '' उपरोक्त भूमियां वादीगण/अपीलांटस द्वारा दिनांक 18.2.1981 को क्रय की है एवं नामांतकरण संख्या 410 भी क्रेतागण/वादीगण के नाम स्वीकृत हुआ है एवं अधी0न्याया0 द्वारा यह माना कि वर्तमान रिकार्ड में त्रुटिवश गलत इंद्राज किया गया है जो दुरूस्त योग्य होकर वापिस वादीगण के नाम इंद्राज कर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।'' अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण की क्रयशंदा संपूर्ण भूमि बाबत् वाद डिक्री किये जाने योग्य माना है किन्तु सहवन से निर्णय के अंतिम भाग में खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 का टंकित होने से रह गया है । उपरोक्त विवेचन से खसरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0 एवं खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 है0 के साथ–साथ खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 भूमि का भी खातेदारी काश्तकार घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 में आंशिक संशोधन किया जाकर अपीलांट/वादी एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 के वारिसान एवं 5, 6 व 7 को ासरा नंबर 152 रकबा 0.33 है0 एवं खसरा नंबर 153 रकबा 0.16 है0 के साथ–साथ खसरा नंबर 151/2691 रकबा 0.19 है0 भूमि का भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 5.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर